भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **1587** जिसका उत्तर
शुक्रवार, **10 फरवरी**, 2023/21 माघ, 1944 (शक) को दिया जाना है

समुद्र संबंधी निधि का सृजन

†1587. श्री राजेन्द्र धेड्या गावित :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का लघु और मध्यम भारतीय उद्यमियों के लिए समुद्र संबंधी निधि के सृजन का कोई प्रस्ताव है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या एक्जिम व्यापार में भारतीय जहाजों की हिस्सेदारी 1980 के दशक की तुलना में 7 से 7.5 प्रतिशत तक कम हो गई है और तटीय नौवहन में इंडियन फ्लैगशिप्स की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत है जो भारतीय नौवहन उद्योग की स्थिति के बारे में बहुत कुछ बताता है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): मैरीटाइम इंडिया विजन, 2030 में कार्यशील पूंजी हेतु आसान पहुंच प्रदान करने और समुद्री क्षेत्र की दीर्घकालिक वित्तीय जरूरतों हेतु समुद्री विकास निधि का सृजन करने की परिकल्पना की गई है।

(ग) और (घ): सरकार ने भारतीय पंजीकरण के अधीन टनेज में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित मुख्य कदम उठाए हैं:-

(i) <u>प्रथम इनकार करने के अधिकार (आरओएफआर) के मापदंड का संशोधन:</u>

भारतीय पंजीकरण के अंतर्गत टनभार को बढ़ाने और भारत में पोत निर्माण को बढ़ावा देने के लिए निविदा प्रक्रिया के माध्यम से जलयानों की चार्टरिंग में प्रथम इनकार करने का अधिकार देने के मापदंड को संशोधित किया गया है, जिससे भारत में टनभार और पोत निर्माण के रूप में भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। भारत में निर्मित, भारतीय पंजीकृत (भारतीय स्वामित्व) के जलयानों को उच्चतम प्राथमिकता देते हुए आरओएफआर का संशोधित पदानुक्रम निम्नलिखित है:

(1) भारतीय निर्मित, भारतीय पंजीकृत (भारतीय स्वामित्व);
(2) विदेशी निर्मित, भारतीय पंजीकृत (भारतीय स्वामित्व);
(3) भारतीय निर्मित, विदेशी पंजीकृत (विदेशी स्वामित्व)।

इससे भारतीय निर्मित और भारतीय पंजीकृत जलयानों की मांग को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ऐसे जलयानों को चार्टरिंग में प्राथमिकता होगी तथा भारत में निर्मित पोतों को अतिरिक्त बाजार पहुंच और व्यापार सहायता भी मिलेगी।

(ii) पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति (2016-2026)

भारतीय शिपयार्डों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने दिनांक 09 दिसंबर, 2015 को भारतीय शिपयार्डों के लिए वित्तीय सहायता नीति का अनुमोदन किया है। वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केवल वही जलयान पात्र होंगे, जिनका निर्माण वैध संविदाओं पर हस्ताक्षर होने के बाद शुरू होता है। संविदा की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर निर्मित और आपूर्ति किए जाने वाले जलयान इस नीति के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। विशिष्टीकृत जलयानों के लिए, आपूर्ति अवधि छह वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। भारतीय शिपयार्डों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता संविदा मूल्य, वास्तविक प्राप्तियों, उचित मूल्य (इनमें से जो भी सबसे कम हो) के 20% की दर पर प्रदान की जाएगी। इस नीति के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता प्रत्येक तीन वर्ष पर 3% तक घटा दी जाएगी।

(iii) भारतीय शिपिंग कंपनियों को सब्सिडी सहायता

यह योजना भारत में वाणिज्यिक पोतों के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकारी कार्गो के आयात के लिए मंत्रालयों/ विभागों और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा जारी वैश्विक निविदाओं में भारतीय नौवहन कंपनियों को सब्सिडी सहायता के रूप में 05 वर्षों की अवधि में 1624 करोड़ रु. प्रदान करने वाली एक योजना है। सब्सिडी की दर जलयान की आयु पर आधारित होती है।

(iv) विदेशी पोतों को संलग्न करने के दौरान भारतीय पंजीकृत जलयानों का संरक्षण

भारत के तटीय व्यापार के लिए विदेशी पंजीकृत जलयानों को संलग्न करने का इरादा रखने वाली भारतीय और विदेशी कंपनियों को वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 406 के तहत नौवहन महानिदेशालय, भारत सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होता है। नौवहन महानिदेशालय (डीजीएस) केवल यह सुनिश्चित करने के पश्चात् ही ऐसे विदेशी पंजीकृत जलयानों को लाइसेंस जारी करता है कि विदेशी पंजीकृत जलयान द्वारा निष्पादित किए जाने वाले ऐसे व्यापार/ कार्य के लिए कोई भारतीय जलयान उपलब्ध नहीं है। तदनुसार, ऐसे परिवहन के लिए भारतीय पोतों को विदेशी पोतों की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है। इसी सुविधा के कारण, ये कंपनियां और यहां तक कि नौवहन कंपनियां भी, भारतीय ध्वज के अधीन जलयान का स्वामित्व रखने अथवा पंजीकृत करने का प्रयास करती हैं। इससे भारतीय नौवहन टनभार में वृद्धि करने में सहायता मिलती है।

*****